भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2010

दिनांक 11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

आंध्र प्रदेश में आईडब्ल्यूएमपी का कार्यान्वयन

2010. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में, विशेष रूप से नांदयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में एकीकृत पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के कार्यान्वयन का जिलावार आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में आईडब्ल्यूएमपी के तहत विकसित पनधारा का ब्यौरा क्या है, साथ ही उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार, मृदा संरक्षण उपाय और जल संसाधन प्रबंधन पहल शामिल हैं;

(ग) क्या राज्य में विकसित क्षेत्रों में आईडब्ल्यूएमपी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए रिमोट सेंसिंग, जीआईएस मैपिंग और जल मॉडलिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो कौन-सी विशिष्ट परियोजनाएं हैं जहां इन्हें लागू किया गया है;

(घ) शहरी क्षेत्रों को पनधारा प्रबंधन ढांचे के भीतर एकीकृत करने के लिए किए गए उपायों का विशेष रूप से तूफानी जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और हरित बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में पनधारा परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी, सतत जल उपयोग और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्षा सिंचित और अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2009-10 से एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) कार्यान्वित कर रहा था। बाद में, आईडब्ल्यूएमपी को वर्ष 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक 1.0 (डब्ल्यूडीसी- पीएमकेएसवाई 1.0) के रूप में मिला दिया गया। इसके अंतर्गत, आन्ध्र प्रदेश में नंदयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में 24 परियोजनाओं सहित कुल 373 परियोजनाओं को भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2021 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को "डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0" के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी गई। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, विभाग ने, नंदयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 3 परियोजनाओं सहित आंध्र प्रदेश को 2.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 59 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 परियोजनाओं की परियोजना अवधि मार्च, 2026 तक है। सभी स्वीकृत डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, अन्य पक्ष मूल्यांकन के लिए तीन निगरानी**,** मूल्यांकन**,** शिक्षण और प्रलेखन (एमईएल तथा डी) एजेंसियों को नियुक्त किया गया था और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 **(**पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी) परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य सौंपा गया था। इसके अलावा, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 सहित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा मैसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कराया गया है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, आंध्र प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक, लगभग 1.96 लाख जल संचयन संरचनाएं सृजित/पुनरुद्धारित की गई हैं। लगभग 3.06 लाख हे. अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षणात्मक सिंचाई के तहत लाया गया है। उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित किसानों की संख्या लगभग 2.86 लाख है।

(ग) वर्ष 2021 में स्वीकृत डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत 59 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में सुदूर संवेदन तथा जीआईएस तकनीक का उपयोग किया गया था। सुदूर संवेदन तथा जीआईएस टूल का उपयोग करके सभी परियोजना क्षेत्रों की सीमाओं को मैप किया गया था और कोरेस्पोंडिंग शेप फाइल बनाए गए

थे। इसके अलावा, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत वितरित सभी कृषि कार्यान्वयनों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्यों को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद के भुवन पोर्टल में जियो-टैग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 (पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी) के तहत निष्पादित परियोजनाओं का मूल्यांकन, सुदूर संवेदन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करके निगरानी, मूल्यांकन, शिक्षण और प्रलेखन (एमईएल तथा डी) एजेंसियों द्वारा किया गया था।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वाटरशेड परियोजनाओं को चिन्हित करने में ग्रामीण क्षेत्रों की शुष्क भूमि और वर्षा सिंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक, राज्य को शहरी क्षेत्रों से वाटरशेड परियोजना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) आंध्र प्रदेश में वाटरशेड परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी, सतत जल उपयोग और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) ने संस्थान और क्षमता निर्माण (आई तथा सीबी) घटक के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में ग्रामीण निवासियों के बीच सामुदायिक भागीदारी जुटाने के लिए वाटरशेड कार्यकलापों पर कलाजत्थाओं, रैलियों का आयोजन, पुस्तिका वितरण और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों में वाटरशेड समितियों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाए गए। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा परियोजना क्षेत्र में किसानों को फसल-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किए गए। परियोजना के प्रारंभिक चरण में, एसएलएनए ने वाटरशेड समिति के सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), प्रगतिशील किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भागीदारी से सूक्ष्म वाटरशेड-वार भागीदारी नेट प्लानिंग (पीएनपी) तैयार की है। पीएनपी के अनुसार, वाटरशेड परियोजना क्षेत्र में मृदा और जल संरक्षण (एसएमसी) तथा जल संचयन संरचना (डब्ल्यूएचएस) कार्यों को निष्पादित किया गया।

इसके अलावा, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 5 फरवरी, 2025 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 योजना के तहत वाटरशेड विकास कार्यकलापों में जागरूकता को बढ़ावा देने और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, "समुदाय संचालित दृष्टिकोण (जन भागीदारी)" के तहत आंध्र प्रदेश सहित देश-भर में एक राष्ट्रव्यापी वाटरशेड यात्रा अभियान शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में, वाटरशेड यात्रा 27 फरवरी, 2025 को संपन्न हुई।

इन प्रयासों से मृदा और जल संरक्षण, सतत जल उपयोग, परती भूमि में कमी, कृषि भूमि में वृद्धि, विस्तारित जल निकायों, ऊंचे भूजल स्तर और दोहरी फसल या वर्षभर फसल क्षेत्र में वृद्धि जैसे दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

*****